<u>सार्वजनिक सूचना की अधिसूचना हेतु दिशानिर्देश</u>

भारत के राजपत्र भाग-IV में नाम/नामों में संशोधन, लिंग परिवर्तन, बालिग दत्तक ग्रहण का निरस्तीकरण, पुनर्विवाह पर संतान और पिता के नाम में परिवर्तन आदि के संबंध में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन हेतु सूचना।

भारत के राजपत्र भाग-IV में सार्वजनिक सूचना की विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है।

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वयं सत्यापित शपथपत्र
(ii) समाचार पत्र की नवीनतम मूलप्रति
(iii) आवेदक तथा दो साक्षियों द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से टंकण/टाइप निर्धारित प्रोफार्मा की दो प्रतियाँ
(iv) साक्षी/गवाह के हिस्से को छोड़कर एम एस वर्ड में टंकित/टाइप मुद्रित सामग्री युक्त सी. डी एवं हस्ताक्षर के स्थान पर अपना पुराना नाम टाइप करें।
(v) स्वयं सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकोपी (स्वयं सत्यापित)
(vi) आवेदक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।
(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।
(viii) संबन्धित वैधानिक/चिकित्सा दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति।

आवेदक जो अपना सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन को भारत के राजपत्र भाग-IV में प्रकाशित कराना चाहता/चाहती है, तो उसे विज्ञापन के प्रकाशित करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है:-

1. मामले का पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए इसे स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
2. आवेदक द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र जिसमें सही और गलत नाम के साथ पिता/पति के नाम एवं पूर्ण आवासीय पता को दर्शाते हुए यह घोषणा किया गया हो कि इसमें निहित तथ्य उसके/उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सही है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के मामले में, वह संबंधित भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायोग द्वारा विधिवत सत्यापित विलेख इस विभाग को मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।
3. संलग्न विभिन्न नमूने में निर्धारित मुद्रण सामग्री को एक अलग सादे कागज पर टाइप करके और व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर दो गवाहों के साथ दो प्रतियों में हस्ताक्षर करके विधिवत रूप से पूर्ण सॉफ्ट कॉपी (सीडी एमएस वर्ड में) के साथ जमा किया जाना चाहिए। प्रोफॉर्मा कम्प्युटर से टंकित होना चाहिए ।
4. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ 2 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की स्वंसत्यापित फोटोप्रति प्रस्तुत करें ।
5. सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन का मुद्रण शुल्क दिनांक 01-04-2016 से रु. 1400/-है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 30-09-2015 के भारत के राजपत्र सं. 602 असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(i) के तहत दिनांक 01-10-2015 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। आवेदनकर्ता से

अनुरोध है कि वह अपना राजपत्र की प्रति इस विभाग के वैबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए
चरण 1 : राजपत्र खोजें (www.egazette.nic.in)
चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र
चरण 3 : भाग एवं खंड में – भाग-IV का चयन करें।
चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फ़ाईल डाउनलोड करें।
चरण 6 : अपना (पुराना/नया) नाम खोजने के लिए कंट्रोल + एफ कुंजी को दबाएँ।
चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazeette) डाउनलोड करें। इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान दें:-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

6. अग्रेषण पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज, मुद्रण शुल्क तथा फोटो पहचान पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
7. विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे।
8. विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा।
9. आई डी प्रूफ के साथ सभी आवेदन स्वयं सत्यापित होनी चाहिए। आवेदन सिर्फ व्यक्तिगत/डाक/संदेशवाहक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। एजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
10. सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात निवेदन को संबन्धित भारत सरकार के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा।
11. यह विभाग संबन्धित प्रैस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।
12. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक

विधिवत टाइप (एमएस वर्ड में) या कम्प्यूटरीकृत प्रिंट आउट (दो प्रतियां) के साथ एक सीडी जमा करना होगा।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण सूचनार्थ यह है कि मैं ....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/पति श्री..............................निवासी............. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम /मेरे पिताजी/मेरी माताजी/मेरा नाबालिक सुपुत्र/मेरी नाबालिक सुपुत्री/मेरी धर्मपत्नी/मेरे पति नाम गलती से ....मेरे नाबालिक सुपुत्री/सुपुत्र.........................उम्र.......................साल के शैक्षिक दस्तावेजों/सेवा पुस्तिका/परिवहन लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड/पेन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र में लिखा गया है जिसमें तदनुसार संशोधन किया जा सकता है । मेरा/मेरे पिताजी/मेरी माताजी/मेरे नाबालिक सुपुत्र/मेरे नाबालिक सुपुत्री/मेरी धर्मपत्नी मेरे पति का वास्तविक नाम.................................... है। तदनुसार इस शुद्ध किया जाए।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(आवेदक का वास्तविक नाम एवं हस्ताक्षर)

साक्षीसंख्या:1...नाम:-...
पता..
मोबाइल...

साक्षीसंख्या:1...नाम:-...
पता..
मोबाइल...

नोट:- उपरोक्त मामले को एमएस वर्ड में वास्तविक नाम से बिना हस्ताक्षर के और बिना गवाह के हिस्से के बनाया जाए।